[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA –ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

Dated the 26/07/2016

NOTIFICATION

F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/148 – In exercise of the powers conferred by section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary to regulate the uninterrupted movement of Non Motorized Vehicle (NMV) in the interest of public safety and convenience of the general public of Delhi/New Delhi roads, wherever such Non Motorized Vehicle lanes have been provided and indicated by the Boards / Signages, do hereby, prohibits the plying and idle parking of all categories of motor vehicles on the Non motorized Vehicle (NMV) lanes indicated / demarcated for their movement duly created by road owing agencies on such roads / areas in their respective areas of jurisdiction in Delhi/New Delhi roads/areas of the National Capital Territory of Delhi.

The above mentioned prohibitions / restrictions shall not be applicable during emergent situations to such motor vehicles attending to emergency services when proceeding on emergency duties on such NMV lanes in the interest of general public.

The violation of these orders shall attract a fine of Rs. 2000/- in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 194 of the said Act.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the following officers to compound the aforementioned offence with the amount of Rupees 2000/- :

(a) Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of Delhi Traffic Police;
(b) Officers of the rank of Head Constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.

The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

This notification comes into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

(V.K. MONGIA)
Deputy Secretary (State Transport Authority)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054.

दिनांक: 26/07/2016

अधिसूचना

सं.फा. 19(96)/परि0/सचि/2010/148 :– मोटर वाहन अधिनियम,1988(1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से सतुंष्ट है कि दिल्ली /नई दिल्ली की सड़कों पर जनसुरक्षा की दृष्टि से तथा आम जनता की सुविधा के लिए मोटर रहित वाहनों (एनएमवी)के निर्बाध आवगमन को विनिमित, किया जाना आवश्यक है, जहां कहीं भी सड़कों पर अधिकार रखने वाली एजेंसी द्वारा अपने संबधित क्षेत्राधिकार में आने वाली दिल्ली/नई दिल्ली की सड़कों/क्षेत्रों पर मोटर रहित वाहनों के लिए लेन बनाई गई है और बोर्ड /सकेंतक लगाए गए हैं, एतद् द्वारा इन सकेंतित/चिन्हित मोटर रहित वाहनों (एनएमवी) की लेनों पर सभी प्रकार के मोटर वाहनों को चलाने तथा व्यर्थ पार्किग को दिल्ली/नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निषेध करते हैं।

उपरोक्त निषेध/प्रतिबंध आपातकाल स्थितियों के दौरान ऐसे मोटर वाहनों पर लागू नहीं होगा, जब मोटर वाहन आम जनता के हित में इन मोटर रहित वाहन लेनों पर आपातकालीन ड्यूटी करते समय आपातकालीन सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 194 की उप धारा (1) के प्रावधानो के अनुसार इन आदेशों का उल्लंघन करने पर 2,000/–रू0 का जुर्माना किया जाएगा।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा 2000/– रूपये की राशि का भुगतान करने पर उपरोक्त अपराध के प्रशमन के लिए निम्न अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं :

(क) दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक सब–इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी और इससे उपर के रैंक के अधिकारी ,

(ख) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के हैड कॉंस्टेबल और इससे उपर के रैंक के अधिकारी।

(signature)

प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रशमन की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "प्रमुख शीर्ष 0041,वाहनों पर कर, 101– आई एम वी (शुल्क व जुर्माना)" में जमा की जाएगी

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनय मोंगिया

(विनय कुमार मोंगिया)
उप सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण)